प्रेस नोट   दिनांक 28.11.2025

अन्जान व्यक्ति द्वारा क्रेडित कार्ड अपडेत करने के नाम पर फ्राड की गयी धनराशि 90,098.1/- (नब्बे हजार अठ्ठानवे) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखनसी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति द्वारा क्रेडित कार्ड अपडेत करने के नाम पर फ्राड की गयी धनराशि 90,098.1/- (नब्बे हजार अठ्ठानवे) रुपये पीडित जगधारी राम पुत्र पलकू राम निवासी सरवां थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की कुल 90,098.1 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 संजय सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. अ0नि श्री हरेन्द्र सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. नि0श्री घनश्याम यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. क0 आ0 आशीष द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. म0का0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
6. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गुमशुदा/खोए 01मोबाइल फोन लगभग 13,000 (तेरह हजार) रुपये कीमती बरामद कर स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को

सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारक का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना कोपागंज में गुमशुदा एक मोबाइल (पोको) कीमत करीब 13000 रुपये आवेदक गुलशना खातून निवासी मुहल्ला वाजीदपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को सुपुर्द किया गया आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपागंज के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

कारखाने के अन्दर तिजोरी तोड़कर की गयी चोरी की घटना में सम्मलित 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी का 45200 बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक 28.11.2025 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर के पास से 1. अभियुक्त रितिक कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व0 सन्तोष राम निवासी ताजोपुर डाडेंपार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को समय करीब 13.25 बजे 2. बकवल तिराहे से आगे रकौली वाले मार्ग के पास से 01 नफर अंशू सिंह उर्फ दुर्गा प्रताप सिंह पुत्र धनन्जय सिंह निवासी कोटवा कोपड़ा थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से चोरी के 45200 बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.11.25 की रात्रि मे ग्राम ताजोपुर औघोगिक क्षेत्र मे फोम कारखाने के अन्दर रखी तिजोरी को तोडकर उसमे रखा कुल 49400 रूपया चोरी कर लिया गया था, जिसके तहत वादी मुकदमा आशीष कुमार गुजराती पुत्र बल्लभ दास निवासी निजामुद्दीनपुरा मऊ कोतवाली जनपद मऊ के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 28.11.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 486/2025 धारा 331(4)/305ए बीएनएस मे चोरी की घटना मे सम्मिलित बनाम रितीक उर्फ सोनू 2. अंशु सिंह निवासी ताजोपुर थाना सरायलखंसी पंजीकृत किया गया था

अभियुक्त का विवरण-

1. रितिक कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व0 सन्तोष राम निवासी ताजोपुर डाडेंपार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. अंशू सिंह उर्फ दुर्गा प्रताप सिंह पुत्र धनन्जय सिंह निवासी कोटवा कोपड़ा थाना कोपागंज जनपद मऊ .

बरामदगी –

1. अभियुक्तगण के कब्जे से कब्जे से चोरी का कुल 45200 रुपया बरामद होना।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रमेशचन्द पाठक थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. हे0का0 विजय बहादुर यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. का0 मनीष कुमार त्रिपाठी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 27-11-2025 को मु0अ0सं0 334/2016 धारा 323/325 भादवि कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त कृपा सिंधु गिरी पुत्र त्रिपुरारी गिरी निवासी चकभदसा थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02 का साधारण कारावास की सजा एवं ₹10,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार (एपीओ), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री राजित राम यादव ,तथा न्यायालय पैरोकार हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल जयंत तिवारी थाना कोपागंज का सराहनीय योगदान रहा।